उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-01/2021/3611/तीस-3-2020-12जीई/2011टी०सी०
लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी 2021

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

श्री चुन्नीलाल, तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त, सम्प्रति सेवानिवृत्त को परिवहन अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2544/30-3-2016-12जीई/2011टीसी, दिनांक 13 जनवरी, 2017 द्वारा तृतीय ए०सी०पी० ग्रेड वेतन-8700/- दिनांक 20.02.2014 से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त उक्त तिथि में संशोधन करते हुए दिनांक 20.02.2014 के स्थान पर दिनांक 26.02.2014 से दिनांक 26.06.2016 तक ग्रेड वेतन रू०-8700/- का लाभ अनुमन्य किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2544/30-3-2016-12जीई/2011टीसी, दिनांक 13 जनवरी, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2021/3611(1)/तीस-3-2020-12जीई/2011टी०सी०, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित कार्मिक (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 ।
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।